झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम–05, 2006) की धारा–80A में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के सढ़सठवे वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमति हो –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

i. यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 कहा जा सकेगा।
ii. यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
iii. यह दिनांक 01.04.2016 से प्रवृत माना जाएगा।

2. **धारा 80A में संशोधन –**

धारा 80 के पश्चात्, **80A** के रूप में एक नयी धारा निम्नवत् जोड़ी जाएगी :–

80 A एडवांस रूलिंग –

1. व्यवसायी द्वारा किंए जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहार के लिए अधिनियम, नियमावली या निर्गत अधिसूचनाओं की व्याख्या पर एडवांस रूलिंग प्राप्त करने के लिए कोई भी निबंधित व्यवसायी विहित प्रपत्र एवं प्रकिया के तहत न्यायाधिकरण को आवेदन समर्पित कर सकता है, यद्यपि किसी कार्यवाही में संबंधित प्रावधान के संबंध में कोई प्रश्न नही उठाया गया हो।

2. यदि न्यायाधिकरण पाता है कि आवेदन में विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सन्निहित नही है तो न्यायाधिकरण आवेदक को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर देने के बाद, आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।
3. यदि आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा आवेदक एवं विभागीय प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात आवेदन की प्राप्ति के चार महीनों के अन्दर आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर एडवांस रूलिंग निर्गत करेगा।
4. इस प्रकार निर्णित /निर्गत एडवांस रूलिंग तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं आवेदक तथा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।
5. एडवांस रूलिंग का निर्णय/घोषणा उपर्युक्त पर बाध्यकारी होगा बशर्ते विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन / संशोधन नही हुआ हो जिसके आधार पर एडवांस रूलिंग दी गयी हो।
6. आयुक्त से आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण को प्रभावित पक्ष या आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए किसी भी समय दिए गए निर्णय के पुर्नविलोकन, संशोधन या निरस्त करने की शक्तियॉ होगी। ऐसे पुर्नविलोकन या संशोधन या पुर्नस्थापन पर उपधारा (3) के अन्तर्गत उल्लिखित काल अवधि की शर्त लागू नही होगी।
7. जहॉ न्यायाधिकरण आयुक्त या किसी या किसी अन्य से आवेदन होने पर यह पाता है कि दिए गए एडवांस रूलिंग तथ्यों के गलत तरीके से प्रस्तुतीकरण के आधार पर दी गयी है तो प्रर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे आदेश को मूलतः अवैध घोषित कर सकता है एवं ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधान आवेदक पर लागू होंगे, जैसे कि इस पर कोई एडवांस रूलिंग नही दी गयी हो।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवद्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 79--50--2-12-2016